




कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

नीलामी सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सिविल कोर्ट, मेरठ परिसर में पुराने निबन्धन कार्यालय भवन को तोड़ने एवं तोड़ने के उपरांत समस्त मलवा/स्कैप, हटवा कर ले जाने हेतु नीलामी की खुली बोली की प्रक्रिया दिनांक 03.01.2018 की अपराहन 04:30 बजे तेरह न्यायालय भवन, जनपद न्यायालय मेरठ में स्थित मीटिंग हाल में सम्पन्न होगी। उक्त बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों/फर्म को अंकन 50,000/-(पचास हजार) रू० नगद रूप में कैशियर, सिविल कोर्ट मेरठ के पास धरोहर राशि के रूप में समय पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा करने आवश्यक होंगे। बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा। उपरोक्त भवन को तोड़ने तथा उसका मलवा/ स्कैप हटाने का कार्य अंदर 07 दिन में करना होगा। उक्त भवन का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व किया जा सकता है। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, मेरठ में देखी जा सकती है।



(विनय कुमार द्विवेदी)
सदस्य, क्रय/विक्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (अ०नि०अधि०)
मेरठ।



(मानवेन्द्र सिंह)
सदस्य, क्रय/विक्रय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं०-2,
मेरठ।



(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
अध्यक्ष, क्रय/विक्रय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं०-1,
मेरठ।

प्रतिलिपि निम्न लिखित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रचार प्रसार हेतु चस्पा करने हेतु :-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
2. अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4. अधिशासी अभियंता, गंग नहर, मेरठ।
5. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, मेरठ।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ।
7. जिला जज, मेरठ कार्यालय नोटिस बोर्ड।
8. कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी मेरठ को समाचार पत्र में निशुल्क विज्ञापन हेतु।


(विनय कुमार द्विवेदी)
सदस्य, क्रय/विक्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (अ०नि०अधि०)
मेरठ।


(मानवेन्द्र सिंह)
सदस्य, क्रय/विक्रय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं०-2,
मेरठ।



(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
अध्यक्ष, क्रय/विक्रय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं०-1,
मेरठ।


नीलामी की शर्तें


दिनांक 03.01.2018 को जनपद न्यायालय, मेरठ परिसर में स्थित पुराने निबन्धन कार्यालय भवन को तोड़ने व तोड़ने के उपरान्त उसका समस्त मलवा/स्कैप हटवा कर ले जाने हेतु नियम खुली बोली में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तों को पूर्णतया पालन करना होगा।

- 1- उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी।
- 2- बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा धरोहर राशि अंकन 50,000/-रु0 धरोहर के रूप में कैशियर सिविल कोर्ट मेरठ के पास नगद रूप में बोली से पूर्व समय दिन 11:00 बजे तक जमा कराने होंगे।
- 3- बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित भवन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।
- 4- बोली जहाँ है, जैसा है के आधार पर होगी अर्थात् बोली में पुराने निबन्धन कार्यालय भवन का मलवा तथा उसमें फिक्सड लोहे एवं लकड़ी के रैक्स शामिल होंगे लेकिन उक्त कार्यालय भवन में स्थित कैश चैस्ट व अन्य चल सम्पत्ति, विद्युत उपकरण जैसे पैखे आदि शामिल नहीं होंगे।
- 5- नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे धरोहर राशि की छोड़कर बोली की 25% धनराशि का भुगतान बोली के पश्चात् यानि दिनांक 03.01.2018 को ही जमा करना होगा तथा बकाया समस्त धनराशि स्वीकृत बोली के अनुमोदन के उपरान्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से अन्दर एक सप्ताह जमा करनी होगी।
- 6- यदि सफल बोलीकर्ता उपरोक्त विहित अवधि के भीतर बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसके पक्ष में किया गया नीलाम निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा निक्षेपित अग्रिम धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
- 7- बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता द्वारा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/विश्वसनीय विधिक पहचान पत्र मय छायाप्रति भी दाखिल करनी होगी।
- 8- प्रथम तीन बोली दाताओं की धरोहर धनराशि को छोड़कर अन्य की धरोहर धनराशि उसी दिन बोली समाप्त होने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
- 9- उक्त भवन का मलवा स्वीकृत बोली के अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने की तिथि से अन्दर 07 दिन में तोड़कर ले जाना होगा और स्थान को साफ कराना होगा।
- 10- भवन की तुड़ाई केवल जमीन की सतह तक अर्थात् भवन में नींव को छोड़कर करनी होगी।
- 11- भवन को तोड़ने के दौरान बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस दौरान किसी अन्य सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचे। यदि किसी अन्य सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी भरपायी बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को करनी होगी।
- 12- उक्त भवन को तोड़ने एवं उसके मलबे को ले जाने पर जो भी व्यय होगा उसे बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को स्वयं वहन करना होगा। बोली छुड़ाने वाले व्यक्ति को मलबा ले जाने में चुन्गी व टैक्स और या कोई देय जी0एस0टी0 आदि हो तो उसे स्वयं वहन करना होगा।
- 13- उक्त बोली का न्यूनतम बोली मूल्य अंकन 4.58 लाख रुपये होगा अर्थात् बोली का प्रारम्भ न्यूनतम बोली मूल्य अंकन 4.58 लाख रुपये से होगा।
- 14- अधिकतम बोली की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी तथा जिसे किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- 15- यदि जी0एस0टी0 देय होगा, तो बोलीदाता के द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।


शर्तों की प्रति ससम्मान माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।


(विनय कुमार द्विवेदी) 08/12/17
सदस्य, कय/विकय समिति/
विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0)
मेरठ।


(मानवेन्द्र सिंह)
सदस्य, कय/विकय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं0-2,
मेरठ।


(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
अध्यक्ष, कय/विकय समिति/
अपर जिला जज कक्ष सं0-1,
मेरठ।

Approved


08-12-2017